

ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :

तारीख मरजुआ : 26-08-2023

तारीख पेशी : 25-07-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी हरीश कुमार पुत्र श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री रोड़ा, निवासी वार्ड नं0 02,
गांव व डा0 कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी हरीश कुमार पुत्र श्री बाल कृष्ण पुत्र श्री रोड़ा, निवासी वार्ड नं0 02,
गांव व डा0 कोटला कलां, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनके
पिता का नाम महाल डंगोली, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 की जमाबन्दी साल 1976-77 के
खाता/खतौनी नं0 186/604, खसरा नम्बरान 5, 240, कित्ता-2 में बालक राम पुत्र रोड़ा पुत्र जवाहर दर्ज है।
जबकि उनके पिता का सही नाम बाल कृष्ण पुत्र रोड़ा पुत्र जवाहर है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके बालक राम
उपनाम बाल कृष्ण पुत्र रोड़ा पुत्र जवाहर दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, नकल परिवार
रजिस्टर, पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता
तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर
व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश
कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई
एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 19/24SNT

तारीख मरजुआ : 16-11-2023

तारीख पेशी : 05-03-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ,
डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी गांव झारखड़ घरलूँ, डा0 छपरोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनका नाम महाल झारखड़ घरलूँ, तहसील बंगाणा, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1985-86 के खाता/खतौनी नं0 385, मिन/463 मिन, खसरा नम्बरान 2413-2414-2417-2418, कित्ता-4 में सुरजीत कुमार पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज है। जबकि उसका सही नाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुरजीत कुमार पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी उपनाम सुरजीत सिंह पुत्र ख्याली राम पुत्र बख्शी दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत छपरोह कलां, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0, नकल आधार कार्ड, वोटर कार्ड, नकल स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 14-02-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)

तारीख मरजुआ : 21-02-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण, निवासी गांव सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी।

प्रार्थना पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण, निवासी गांव सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उनका नाम उप-महाल सलोह निचला, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0 की जमाबन्दी साल 1982-83 के खाता/खतौनी नं0 984, मिन/1162 मिन, खसरा नम्बरान 49/11, 12, 49/10/4, कित्ता-3, रकबा तादादी 18-0 कनाल में श्री मन्दिर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण दर्ज है। जबकि उसका सही नाम श्री रविन्दर सिंह पुत्र

श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके मन्दिर सिंह उपनाम श्री रविन्दर सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह पुत्र लच्छमण दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान, ग्राम पंचायत सलोह, उप-तहसील ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0, नकल आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर मिसल के साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था, वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)

मिसल नं0 :

तारीख मरजुआ : 23-01-2024

पेशी दिनांक : 28-08-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना, निवासी गांव बल्ह खालसा, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना, निवासी गांव बल्ह खालसा, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम उप-महाल चताड़ा उपरला, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1978-79 के खाता/खतौनी नं0 593, मिन/748, खसरा नम्बरान 3116, 3135, 3136, 3137, 3138, 3140, 3148, 3113, 3097, कित्ता-9 व खेवट/खतौनी नं0 592/747, खसरा नं0 3084, 3093, 3095, 3096, 3107, 3112, 3149, कित्ता-7 में श्री उपदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना दर्ज है। जबकि उनका नाम अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके श्री उपदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना उपनाम अवदेश कुमार पुत्र श्री किशना पुत्र भगवाना दर्ज किया जाये। प्रार्थी का शपथ पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत वल्ह खालसा, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना, हि0 प्र0, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र, स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, छायाप्रति आदेश नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना मिसल नं0 65/एन.टी.बी/2019, तारीख फैसला 13-10-2020 मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुश्त्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश

कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 09-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)।
